

श्रीमान् जी

2023/190

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी जग्गा सिंह पुत्र बाबुलाल उर्फ बाबु सिंह जाति नायक निवासी चक 16 एलएलजी जोगीवाला तहसील सादुलशहर ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, मूल रसीद गुम होने बाबत एफआईआर, वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि मेरे पिता बाबु लाल उर्फ बाबु सिंह पुत्र भूपा सिंह जाति नायक निवासी वार्ड नं० 3 जोगीवाला चक 16 एलएलजी तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 19.01.2009 को करवाई गई थी, उनका स्वर्गवास दिनांक 19.12.2021 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान रणजीत पुत्र दयालाराम एवं कृष्णलाल पुत्र बनवारी लाल ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री अरविन्द्र सिंह अरोडा श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

21/12/23

जिला पंजीयक महोदय